

**पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा
पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई,
फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।**

आज दिनांक- 28.07.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।



- पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद के थानों की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा चलाया गया 'मिशन शक्ति' एवं 'शक्ति दीदी' अभियान।
- स्कूली छात्राओं, महिलाओं एवं बालिकाओं से वार्ता कर पंपलेट आदि के माध्यम से विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों, गुड टच-बैड टच एवं महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।

महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा, सम्मान, स्वावलम्बन, सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 28.07.2025 को मिशन शक्ति अभियान (फेज-04) के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा के थाना खरेला एवं महिला रिपोर्टिंग चौकी चरखारी की एण्टी रोमियो टीम द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में पड़ने वाले विद्यालय एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों में जाकर वहां मौजूद बच्चियों तथा महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति एवं शक्ति दीदी अभियान के अन्तर्गत जागरूक किया गया साथ ही गुड टच-बैड टच के बारे में भी जानकारी दी गई।

अभियान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं/बालिकाओं के लिए समर्पित विभिन्न सेवाओं/हेल्पलाइन नम्बरों (ट्वीटर सेवा, डॉयल-112, हेल्प लाइन-181, वुमेन पावर लाइन-1090, चाइल्ड हेल्प लाइन-1098, सी0एम0 हेल्पलाइन-1076, वन स्टॉप सेन्टर-181, स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन-102, एंबुलेंस सेवा-108 आदि) तथा जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने पर महिला हेल्प डेस्क आदि के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए पंपलेट आदि के माध्यम से जागरूक किया गया तथा महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं (निराश्रित महिला पेंशन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान योजना, महिला शक्ति केन्द्र योजना आदि) के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए जागरूक किया गया।



थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम ने अवैध शस्त्र के साथ

01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र धारक अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी एवं बरामदगी अभियान के क्रम में आज दिनांक- 28.07.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर, श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर द्वारा गठित टीम के उ0नि0 गौरव चौबे द्वारा 01 नफर अभियुक्त राजकुमार कुशवाहा पुत्र परमेश्वरी दयाल कुशवाहा उम्र करीब 22 वर्ष निवासी मु0 बल्देव नगर थाना कोतवाली नगर महोबा के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुए बीएसएनएल टावर से यशोदा नगर मार्ग थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 322/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त व बरामदगी विवरण:-

राजकुमार कुशवाहा पुत्र परमेश्वरी दयाल कुशवाहा उम्र करीब 22 वर्ष निवासी मु0 बल्देव नगर थाना कोतवाली नगर महोबा के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 गौरव चौबे चौकी इन्चार्ज सुभाष थाना कोतवाली नगर महोबा
2. उ0नि0 सत्यम मिश्रा थाना कोतवाली नगर महोबा
3. कां0 लोकेन्द्र सिंह थाना कोतवाली नगर महोबा



थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में वाछित/वारण्टी की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.07.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली महोबा के नेतृत्व में गठित टीम के 30नि0 सनय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन के क्रम में अ0सं0 87/07 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वारण्टी अभियुक्त राजेन्द्र श्रीवास पुत्र सुब्बी उम्र 41 वर्ष निवासी मु0 ढलैतनपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा को वारण्ट से अवगत कराते हुए अभियुक्त को मदन सागर के पास मु0 नयारियनपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

राजेन्द्र श्रीवास पुत्र सुब्बी उम्र 41 वर्ष निवासी मुहल्ला ढलैतनपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. 30नि0 सनय कुमार चौकी इन्चार्ज मनियादेव थाना कोतवाली नगर महोबा
2. का0 आशीष पाल थाना कोतवाली नगर महोबा



थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम ने 02 मुकदमों में वांछित 03 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में वांछित/वारन्टी की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.07.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली महोबा के नेतृत्व में गठित टीम के उ0नि0 गौरव चौबे द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन के क्रम में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु.अ.सं. 305/2025 धारा 191(2)/ 126 (2)/ 352/ 351(2)/ 333/ 115(2)/ 110/ 117(2)/ 324(2) बीएनएस में वांछित 02 नफर अभियुक्तगण 1. महेश राजपूत पुत्र प्रमोद राजपूत उम्र करीब 20 वर्ष 2. जितेन्द्र राजपूत पुत्र अमरचन्द्र उम्र करीब 21 वर्ष निवासीगण ग्राम मझलवारा थाना कोतवाली नगर महोबा को परमानन्द तिराहे के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया

इसी क्रम में गठित टीम के उ0नि0 संजय सिंह द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु.अ.सं. 299/2025 धारा 69/351(2)/352 बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त रोहित पुत्र नन्दराम यादव उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम किडारी थाना कोतवाली नगर महोबा को लौड़ी तिगैला महोबा से गिरफ्तार किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. महेश राजपूत पुत्र प्रमोद राजपूत उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम मझलवारा थाना कोतवाली महोबा
2. जितेन्द्र राजपूत पुत्र अमरचन्द्र उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम मझलवारा थाना कोतवाली महोबा
3. रोहित पुत्र नन्दराम यादव उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम किडारी थाना कोतवाली नगर महोबा

गिरफ्तार करने वाली प्रथम पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 गौरव चौबे चौकी इन्चार्ज सुभाष थाना कोतवाली नगर महोबा
2. कां0 धर्वेन्द्र सिंह थाना कोतवाली नगर महोबा
3. कां0 चन्दन पांचाल थाना कोतवाली नगर महोबा

गिरफ्तार करने वाली द्वितीय पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 संजय सिंह चौकी प्रभारी बजरिया थाना कोतवाली नगर महोबा
2. कां0 संग्राम सिंह थाना कोतवाली नगर महोबा



जनपद महोबा में बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सघन चेकिंग अभियान

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपदीय पुलिस टीम द्वारा जिले के प्रमुख बैंकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान बैंकिंग सुरक्षा व्यवस्था को परखने और किसी भी आपराधिक गतिविधि की आशंका को रोकने की दृष्टि से चलाया गया।

अभियान के दौरान पुलिस टीमों द्वारा बैंक परिसर के अंदर व बाहर सदिग्ध व्यक्तियों की गहनता से तलाशी ली गई। बैंक गार्ड्स की तैनाती, सतर्कता और उनके द्वारा संधारित लॉगबुक की गहन समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, CCTV कैमरों की स्थिति, उनकी कार्यक्षमता और कवरेज की भी बारीकी से जांच की गई।

पुलिस अधिकारियों ने बैंक परिसर में लगे सिक्स्योरिटी अलार्म सिस्टम, इमरजेंसी अलार्म बटन तथा पुलिस सहायता के लिए स्थापित संपर्क बिंदुओं की कार्यप्रणाली को परखा। बैंक कर्मचारियों को सतर्कता बरतने और किसी भी सदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना पुलिस को देने के निर्देश भी दिए गए।

जनपदीय पुलिस का यह प्रयास बैंक ग्राहकों में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने के साथ-साथ आपराधिक तत्वों पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

बैंक चेकिंग



थाना अजनर की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 06 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार,

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु जनपद में संचालित अवैध जुआ/सट्टा पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक- 28.07.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना अजनर श्री सत्यपाल सिंह द्वारा गठित टीम के व0उ0नि0 कन्हैयालाल मय टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर नहर कोठी के पास से 06 नफर अभियुक्तगण को ताश पत्ता से रुपये पैसों की हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 165/2025 धारा 13 जुआ अधिनियम व 112(2) बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बरामदगी-

1. मालफड़ 90,000 रुपये व जामातलाशी 12660 रुपये व 52 अदद ताशपत्ते, एक गमछा, माचिस, दो अधजली मोमबत्ती, 06 अदद मोबाईल इस्तेमाली, लावारिस एक चार पहिया वाहन व एक मोटरसाईकिल लावारिस ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1 व0उ0नि0 कन्हैयालाल 2. उ0नि0 आकाश मौर्य 3. उ0नि0 राधा मोहन त्रिवेदी
4. हे0का0 बृजेश कुमार थाना 5. कां0 भरत सिंह 6. कां0 प्रताप विक्रम
7. कां0 नरेन्द्र बाबू थाना अजनर जनपद महोबा ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.अखिलेश यादव पुत्र चेताराम यादव उम्र करीब 35 वर्ष निवासी मुहल्ला दीवानपुरा थाना राठ जनपद हमीरपुर 2. रामऔतार कोरी पुत्र बारेलाल कोरी उम्र करीब 26वर्ष निवासी मुहल्ला सिकंदरपुरा राठ थाना राठ जनपद हमीरपुर 3.विजय नाई पुत्र छोटेलाल उम्र करीब 34 वर्ष निवासी मुहल्ला पठनऊ राठ थाना राठ जनपद हमीरपुर 4.अभिषेक राजपूत पुत्र सिद्ध गोपाल राजपूत उम्र करीब 26 वर्ष निवासी जलाल पुर राठ थाना राठ जनपद हमीरपुर 5.भान सिंह राजपूत पुत्र रामगोपाल उम्र करीब 55 वर्ष निवासी मुहल्ला बुधौलिया नगर राठ थाना राठ जनपद हमीरपुर 6.मइयादीन राजपूत पुत्र नन्दकिशोर राजपूत उम्र करीब 55 वर्ष निवासी खेड़ा शीलाजीत थाना जरिया जनपद हमीरपुर हाल पता मुहल्ला दीवानपुरा राठ थाना राठ जनपद हमीरपुर (क्रम संख्या 01 से 06 तक गिरफ्तार) 7.कंधी कुशवाहा पुत्र अज्ञात निवासी बाराखम्भा राठ थाना राठ जनपद हमीरपुर 8. हरेन्द्र यादव पुत्र अज्ञात निवासी चुंगी राठ थाना राठ जनपद हमीरपुर 9. राजपाल उर्फ दाऊ पुत्र अज्ञात निवासी नौगाँव थाना नौगाँव जनपद छतरपुर म0प्र0 10. रीतेश यादव पुत्र अज्ञात निवासी राठ थाना राठ जनपद हमीरपुर



महोबा पुलिस



मीडिया सेल, महोबा

थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम ने हत्यारोपी अभियुक्त को 24 घण्टे के अन्दर मय आलाकत्ल (फांवडा) के साथ किया गिरफ्तार।

कल दिनांक 27.07.2025 को जनपद महोबा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रतौली से सूचना प्राप्त हुयी कि एक व्यक्ति हकिम सिंह पुत्र लल्लू सिंह की हत्या उनके सगे बहनोई राजबहादुर सिंह ने कर दी है, उक्त सूचना पर जनपदीय पुलिस के उच्चाधिकारीगण द्वारा मय स्थानीय पुलिस व फील्ड यूनिट टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लिया गया जिसके क्रम में घटना के सफल अनावरण व अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के हेतु अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर, श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर के नेतृत्व में थाना स्तर पर पुलिस टीमों का गठन किया गया था।

आज दिनांक 28.07.2025 को प्रभारी निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह मय टीम के द्वारा अपनी बहन का भाई (साला) की हत्या करने वाले एवं मु0अ0सं0 320/25 धारा 103(1) बीएनएस के वांछित अभियुक्त राजबहादुर सिंह पुत्र यदुनाथ सिंह निवासी ग्राम मिश्रीपुर थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को पसवारा मोड़ महोबा से मय आलाकत्ल के साथ नियमानुसार गिरफ्तार किया गया तथा आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेशी उपरान्त जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

राजबहादुर सिंह पुत्र यदुनाथ सिंह निवासी ग्राम मिश्रीपुर थाना कुरारा जनपद हमीरपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. अर्जुन सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर महोबा
2. निरीक्षक अपराध यशवन्त सिंह थाना कोतवाली महोबा
3. हे0का0 विकास सिंह थाना कोतवाली नगर महोबा
4. का0 अवनेश यादव थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा
5. का0 सुनील जाटव थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा



!!महोबा पुलिस द्वारा स्कूली वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया कुल 12 वाहनों की जांच, 03 के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही!!

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जनपद में स्कूली वाहनों के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस अभियान का संचालन यातायात प्रभारी श्री सुनील कुमार के नेतृत्व में किया गया, जिसके अंतर्गत कुल 12 स्कूली वाहनों की गहन जांच की गई। चेकिंग के दौरान 03 वाहनों में निर्धारित मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, वाहनों की फिटनेस, परमिट, चालक की योग्यता, ओवरलोडिंग व सुरक्षा उपकरणों की जांच करना रहा।

पुलिस अधीक्षक महोबा ने बताया कि इस प्रकार के अभियान समय-समय पर लगातार जारी रहेंगे ताकि बच्चों को सुरक्षित यातायात सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने सभी स्कूल प्रबंधनों से अपील की कि वे केवल नियमों के अनुरूप फिट एवं अधिकृत वाहनों का ही संचालन सुनिश्चित करें।

महोबा पुलिस – आपकी सुरक्षा, हमारा संकल्प।



!!-महोबा पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता-!!

गोली चलाकर लूट का प्रयास करने वाले शातिर अभियुक्त को जनपदीय एसओजी व थाना कबरई की संयुक्त पुलिस टीम ने मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा एवं 01 जिन्दा कारतूस बरामद किए गए।

दिनांक 20.07.2025 को थाना कबरई क्षेत्रान्तर्गत एक आटा चक्की संचालक के साथ उसकी दुकान के बाहर गोली मारकर लूट का प्रयास किया गया था, जिसके संबंध में थाना कबरई पर अपराध संख्या 206/2025 धारा 109(1)/309(5) BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के बाद से ही अभियुक्त फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु सतत प्रयास किए जा रहे थे।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लिया गया, जिसके क्रम में घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वंदना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर, श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय एसओजी तथा थाना कबरई पुलिस के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया।

गठित पुलिस टीमों द्वारा इस घटना के सफल अनावरण हेतु विभिन्न सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया व विभिन्न साक्ष्यों को संकलित किया गया, इसी क्रम में आज

दिनांक 28.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर थानाध्यक्ष कबरई मय टीम द्वारा बंद पड़ी द्विवेदी केशर (गंज गाँव के पास) घेराबंदी कर वांछित अभियुक्त सोनू अहिरवार पुत्र बृजपाल उर्फ रामसिंह अहिरवार (उम्र लगभग 22 वर्ष), निवासी ग्राम धवारी, थाना जुझारनगर, बारीगढ़, जनपद छतरपुर (म.प्र.) को पकड़ने का प्रयास किया गया, जिस पर अभियुक्त ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी।

पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। अभियुक्त द्वारा मौके से भागने का प्रयास किया गया, जिसे घेराबंदी कर मौके पर ही गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 32 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस व 01 अदद जिन्दा कारतूस की बरामदगी कर इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। अभियुक्त द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर करने पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 219/2025 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है बाद उपचार अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी उपरांत जेल भेजा जाएगा।

गिरफ्तार अभियुक्त-

सोनू अहिरवार पुत्र बृजपाल उर्फ रामसिंह अहिरवार (उम्र लगभग 22 वर्ष), निवासी ग्राम धवारी, थाना जुझारनगर, बारीगढ़, जनपद छतरपुर (म.प्र.)

* ₹750/- नगद

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम का विवरण-

स्वाट/सर्विलांस टीम का विवरण-

- 1.उ0नि0 शिव प्रताप सिंह, प्रभारी स्वाट/सर्विलांस टीम
- 2.उ0नि0 विवेक यादव, स्वाट टीम
- 3.कां0 रनजीत सिंह, स्वाट टीम
- 4.कां0 आशीष बघेल, स्वाट टीम
- 5.हे0कां0 भूपेन्द्र सिंह, सर्विलांस टीम
- 6.कां0 दीपक वर्मा, सर्विलांस टीम
- 7.कां0 सत्यम सिंह जादौन, सर्विलांस टीम
- 8.कां0 अभिषेक दुबे, सर्विलांस टीम

थाना कबरई की पुलिस टीम का विवरण-

1. थानाध्यक्ष कबरई सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया
2. व0उ0नि0 मलखान सिंह
3. हे0कां0 राजेन्द्र प्रसाद
4. कां0 राहुल अग्निहोत्री
5. कां0 धर्मेन्द्र

बरामदगी का विवरण-

- * 01 अदद नाजायज तमंचा .32 बोर
- * 01 जिंदा कारतूस
- * 01 खोखा कारतूस



पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा थाना चरखारी क्षेत्रान्तर्गत माँ मदारन देवी मंदिर परिसर में नाग पंचमी पर्व के अवसर पर आयोजित मेले की तैयारियों के दृष्टिगत स्थलीय निरीक्षण किया गया। आवश्यक सुरक्षा व यातायात व्यवस्था हेतु संबंधित को दिशा-निर्देश दिए गए।

आज दिनांक 28.07.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा थाना चरखारी क्षेत्रान्तर्गत स्थित माँ मदारन देवी मंदिर परिसर में नाग पंचमी पर्व के अवसर पर आयोजित होने वाले मेले की तैयारियों के दृष्टिगत स्थलीय निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, शांति एवं सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने साफ-सफाई, बैरिकेडिंग, पार्किंग व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण तथा पुलिस बल की समुचित तैनाती आदि बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा करते हुए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि जनपद पुलिस द्वारा मेले में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षा एवं सुविधा हेतु पूर्ण तत्परता के साथ कार्य किया जा रहा है, ताकि पर्व शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न हो सके।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकांत गोंड एवं थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार भी उपस्थित रहे।

